(6) ऐसे कर्मी, जो स्वैच्छिक सेवा मुक्ति का लाभ लेते हैं, उन्हें राज्य शासन के अन्य विभाग अथवा राज्य शासन के नियंत्रित तथा सहायता/अनुदान प्राप्त किसी निगम, मण्डल, कम्पनी अथवा स्वशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय बोर्ड तथा स्थानीय निकाय में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(7) देय राशि का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा।

(8) स्वैच्छिक सेवा मुक्ति मान्य हो जाने के पश्चात् कर्मी को अपना आवेदन वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

(9) स्वैच्छिक सेवामुक्ति चाही जाने हेतु सूचना पत्र के लिये कोई पूर्व समय-सीमा नहीं होगी अर्थात् कर्मी द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रभाव से भी स्वैच्छिक सेवा मुक्ति दी जा सकेगी।

2. कृपया इन निर्देशों को अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 622/1356/2002/नियम/चार, दिनांक 5-8-2002 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल - 462004.

पृ0क्रमांक/3/स्था/एफ/02/ 1822 /भोपाल, दिनांक 4-9-2002

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1/ प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थायें, म0प्र0 ।

2/ संचालनालय के समस्त अधिकारी एवं उपविभाग ।

3/ संचालक जी के वरिष्ठ निज सहायक ।

4/9/02

(के0 सी0 वर्मा)
वि.क.अधि.
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
मध्यप्रदेश.

-=:0:=-

अनिता/30802.